Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Appeal No.- 43/2021

Renu Kumari .... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors .... Respondents.

Web Copy, Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	14.11.2023	**आदेश** प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा वाद सं0–01/2021 में दिनांक–21.06.2021 को पारित तथा ज्ञापांक–892/जि0प्रो0 दिनांक–21.06.2021 द्वारा संसूचित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। अपीलार्थी को सुना। उत्तरवादी सं0–06 भवानी कुमारी को कई अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी न तो प्रत्युत्तर समर्पित किया गया और न ही उनकी ओर से सुनवाई में हिस्सा लिया गया। फलतः मामले की एक पक्षीय सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पंचायत–भतसरा, वार्ड सं0–07, आँगनबाड़ी केन्द्र सं0–152 पर सेविका पद हेतु अपीलार्थी एवं अन्य द्वारा आवेदन समर्पित किया गया। उक्त केन्द्र अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। किन्तु उस श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार द्वारा आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। समर्पित आवेदन के आलोक में तैयार किये गये मेधा सूची में आवेदिका एकमात्र अनुसूचित जाति की उम्मीदवार थी। अपीलार्थी को बिना कोई सूचना दिये आमसभा आयोजित करते हुए पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार उत्तरवादी सं0–05 का चयन कर लिया गया और इन्हें चयन से यह कहते हुए वंचित कर दिया गया कि इनकी सास वार्ड पंच है। अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष उक्त चयन के विरूद्ध परिवाद समर्पित किया गया जिसमें उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए दिनांक–21.06.2021 को इनके वाद को अस्वीकृत कर दिया गया जो सही नहीं है। इनका आगे कथन है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया का आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अपीलार्थी एकमात्र अनुसूचित जाति की योग्य अभ्यर्थी थी। इनकी सास का वार्ड पंच के तथ्य को गलत ढ़ंग से प्रस्तुत करते हुए उक्त पद के चयन से वंचित किया गया है, जबकि इनकी सास द्वारा दिनांक–12.09.2020 को ही अपना त्याग–पत्र सरपंच को समर्पित कर दिया गया था जिसे सरपंच द्वारा स्वीकृत भी कर लिया गया था। इनके विरूद्ध आरोप	

		है कि ये वार्ड सं0—07 केन्द्र सं0—152 की निवासी नहीं है बल्कि आँगनबाड़ी केन्द्र सं0—189 में इनके द्वारा लाभ लिया जाता है और इनका नाम मैपिंग पंजी में दर्ज नहीं है। वार्ड सं0—07 के वार्ड सदस्य को छोड़कर स्थानीय सभी क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 14.11.2023	जनप्रतिनिधियों यथा—मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, वार्ड सं0—2, 3, 6 द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि अपीलार्थी रेणु कुमारी केन्द्र सं0—152 की निवासी है और इनके द्वारा कभी भी T.H.R. का लाभ केन्द्र सं0—189 से नहीं लिया गया है। इसकी पुष्टि केन्द्र सं0—189 के T.H.R. एवं उपस्थिति पंजी से भी होती है। बल्कि उत्तरवादी सं0—06 भवानी कुमारी की पुत्री साक्षी कुमारी का नाम उक्त केन्द्र के T.H.R. पंजी के क्रमांक—11 पर दर्ज है। महिला पर्यवेक्षिका एवं वार्ड सदस्य के षड्यंत्र के कारण मैपिंग पंजी में इनका नाम दर्ज नहीं किया गया है। चयन समिति द्वारा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का चयन करने के प्रावधान की अनदेखी करते हुए उत्तरवादी सं0—06 का चयन किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो सही नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। अपीलार्थी को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत केन्द्र पर बाहुल्य वर्ग अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थी नहीं रहने के कारण अनुसूचित जाति वर्ग से नियमानुकूल चयन किया जाना चाहिए था। जैसा कि अपीलार्थी का दावा भी है। निम्न न्यायालय आदेश में उल्लिखित है कि केन्द्र सं0—152 का मैपिंग पंजी पर क्षेत्रीय महिला पर्यवेक्षिका एवं वार्ड सदस्य श्री अशोक राम का हस्ताक्षर दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के वार्ड सदस्य द्वारा उक्त पंजी अनुमोदित है और उसी वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में दिनांक—18.09.2020 को आमसभा आयोजित हुई है। वर्णित पोषक क्षेत्र के मैपिंग पंजी में अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं रहने के कारण इन्हें सेविका पद हेतु अयोग्य पाया गया। अपीलार्थी द्वारा पंचायत आम निर्वाचन नामावली—2021 प्रा0 नि0 क्षेत्र सं0—07, पंचायत—भतसरा की मतदाता सूची समर्पित किया है जिसमें क्रमांक—27 पर अपीलार्थी रेणु कुमारी पति—बबलू राम अंकित है। उल्लेखनीय है कि उक्त चयन वर्ष 2020 में ही संपन्न किया गया है। फलस्वरूप 2021 की मतदाता सूची की मान्यता नहीं दी जा सकती है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए संपुष्ट किया जाता है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित।	

Web Copy. Not Official.

		आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.